ISSN : 2249-5118

अंक- द्वादश

जुलाई, 2015

# नव्या

शोध पत्रिका

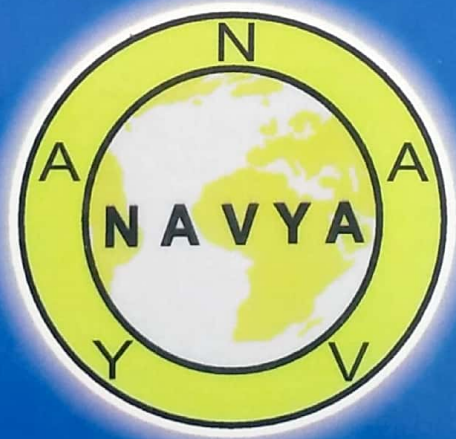


मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विषय की एक द्विभाषिक शोध पत्रिका

Scanned by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. | शैक्षणिक व राजनीतिक सुदृढ़ीकरण से महिला सशक्तिकरण | लक्ष्मी सिंधी<br>डॉ. रविन्द्र सिंह राठौड | 100–104 |
| 14. | भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था : चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ (गाजीपुर जनपद के विशेष सन्दर्भ में) | डॉ. आरती श्रीवास्तव | 105–113 |
| 15. | 'उर्वशी' में बिम्ब–विभास | डॉ. पवन कुमार सिंह | 114–126 |
| 16. | हरिशंकर परसाई का व्यंग्य–कर्म | कु0 दिव्यलता शर्मा | 127–130 |
| 17. | पुस्तक समीक्षा | डॉ. अखिलेश कुमार शर्मा | 131–133 |


❑❑❑

Scanned by CamScanner

# शैक्षणिक व राजनीतिक सुदृढ़ीकरण से महिला सशक्तिकरण

लक्ष्मी सिंघी*
डॉ.रविन्द्र सिंह राठौड**

महिला व पुरुष दोनों समाज के अभिन्न अंग हैं। समाज के संवाक इन दोनों तत्त्वों की जब समान स्थिति हो तभी समाज में संतुलन रहता है। समाज का एक वर्ग सबल तथा दूसरे की स्थिति अपेक्षकृत निम्न हो तो समाज का संतुलन बिगड़ता है। भारतीय समाज में यह संतुलन नहीं है। समाज के विभिन्न सामाजिक रीति–रिवाजों, परम्पराओं, मान्यताओं से महिला की स्थिति में सुधार की अपेक्षा को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 70 के दशक में महिलाओं के उत्थान व अधिकारों के बारे में विचार होने लगा तथा महिला सशक्तिकरण का चिन्तन और मुखर रूप से सामने आया।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है– एक महिला का अपने जीवन से जुड़े हुए निर्णयों को लेने की स्वतंत्रता और अधिकार सम्पन्न होना। यह निर्णय उसके व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन जैसे शिक्षा, रोजगार, विवाह, घरेलू कार्य आदि से जुड़े हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसके सामाजिक जीवन से जुड़े अनगिनत प्रश्नों से भी इसका सम्बन्ध हो सकता है। यदि हम भारतीय ग्रामीण परिवेश पर दृष्टि डालें, तो पायेंगे कि ग्रामीण महिलाएं इनमें से बहुत सारे मानवीय अधिकारों से वंचित है। ऊपर से लैंगिक भेदभाव व हिंसा की सर्वाधिक शिकार ग्रामीण महिलाएं ही हैं।[1] आज भी ग्रामीण महिलाएं बाल–विवाह व पर्दा–प्रथा की बेड़ियों में कैद है, खेती व पशु–पालन का सारा काम महिलाओं के जिम्मे है, लेकिन फसल बेचकर, काम आदि महिलाओं की जिम्मेदारी होते हुए भी वे पुरुषों से पिटने को मजबूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अशिक्षित हैं। यदि स्त्री को इन समस्याओं से मुक्त करना है तो उनकी शिक्षा व राजनीतिक भागीदारी जरूरी है।

---

* जे.आर.एफ., शोध अध्येता, अहिंसा एवं शांति विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं–341306 (राजस्थान)

** सहायक प्रोफेसर, अहिंसा एवं शांति विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं–341306 (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

## सामाजिक सशक्तिकरण व शिक्षा :

यह बहुत ही सामान्य प्रश्न हो सकता है कि शिक्षा से महिला सशक्तिकरण कैसे संभव है? इसका उत्तर भी सीधा है। शिक्षा से एक महिला ज्ञान के संसार में प्रवेश करती है व आधुनिक तकनीकी व विज्ञान से परिचित होती है और उनका लाभ उठा पाती है। उसकी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों तक पहुंच बढ़ती है और वह इनकी गुणवत्ता में सुधार की मांग कर पाती है। वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों व दायित्व को बखुबी समझती है। इस प्रकार शिक्षा जीने की कला में पारंगत होती है और उचित–अनुचित में फर्क करना जान पाती है। उसकी सार्वजनिक जीवन में भागीदारी बढ़ती है। इसके विपरीत अशिक्षित महिला अनेक प्रकार से शोषण व उत्पीड़न की शिकार होती है। उनका प्रतिकार करने में असमर्थ होती है जबकि शिक्षा उसके अंदर चेतना जाग्रत कर उसे स्वयं अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। अतः महिला शिक्षा सशक्तिकरण की सर्वाधिक वांछित शर्त है।[2]

सशक्तिकरण के लिए एक महिला के जीवन से जुड़े तीन प्रश्नों की अहम् भूमिका है– पहला क्या उसे अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने की स्वतंत्रता है? दूसरा– सामान्यतः विवाह सम्बन्धी फैसले लेने में उसकी भूमिका। तीसरा– क्या वह सार्वजनिक गतिविधियों में भागीदारी कर पाती है? सामाजिक न्याय व समानता के आदर्श का भी यह तकाजा है कि महिलाओं को इस योग्य बनाया जाए कि वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके, यह महिला शिक्षा को बढ़ावा देकर ही संभव है।[3] शिक्षित महिलाएं ही आनर किलिंग, दहेज, यौन–हिंसा, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण–हत्या आदि समस्याओं के खिलाफ संगठित होकर मुकाबला करने में सक्षम हो सकती है।[4] शिक्षा से न केवल स्त्री आत्मनिर्भर होती है उन्हें अपने अधिकारों का भी ज्ञान होता है। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में सबसे पहले उनकी सामाजिक निर्योग्यताओं को दूर करना होगा। सामाजिक समस्याएं यथा– दहेज, कन्या भ्रूण–हत्या, छेड़छाड़, वैश्यावृत्ति, प्रथाएं– डायन प्रथा, नाता प्रथा आदि ने महिलाओं को भोग की वस्तु ही बनाया है। इन प्रथाओं से जकड़ी स्त्री अपने विकास व अपनी योग्यता व ऊर्जा का समाज के विकास में योगदान के बारे में सोच ही नहीं पाती है।[5] सर्वप्रथम परिवार से ग्राम व ब्लॉक समाज के निम्न से उच्च इकाई में प्रत्येक सामाजिक समस्या

Scanned by CamScanner

के अंधविश्वासों को निराधार करके शिक्षा व जागरूकता द्वारा स्त्री को उसकी क्षमता अनुसार अवसर स्वयं प्राप्त करने होंगे तथा ऐसी रूढ़ियां जो उनके विकास में रोड़ा बनती है उन्हें नकार कर कुछ सकारात्मक व रचनात्मक कार्य करके ही सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

**प्रशासनिक व राजनीतिक सशक्तिकरण :**

राजनीति में सदैव महिलाओं को दोयम दर्जा दिया जाता है। कभी आरक्षण की बैसाखी या फिर नाममात्र की संख्या व भूमिका ही प्रत्येक राजनीतिक दल में महिलाओं की होती है। सामान्यतः यह धारणा है महिलाएं गृहकार्य के लिए बनी है तथा शासन करना व प्रशासनिक कार्यों में वे निपुण नहीं होती, अतः उन्हें दूर रखा जाए। इसलिए सामान्यतः अधिक महत्त्व के राजनीतिक पदों से दूर ही रखा जाता है। राजनीतिक व प्रशासनिक मामलों में स्त्री सदैव अपनी विशिष्ट योग्यता का परिचय देती आयी है चाहे रजिया बेगम हो या झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, राजस्थान में गिरिजा व्यास, वसुंधरा राजे सिंधिया, ज्योति मिर्धा सरीखी अनेक महिलाओं ने अवसर आने पर अपनी राजनीतिक व प्रशासनिक निपुणता का परिचय दिया है। सामान्यतः पंचायती राज में भी महिलाओं को आरक्षण के नाम पर प्रवेश तो मिल जाता है लेकिन उन्हें उचित प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होती। जातिगत भेदभाव के कारण निम्न जाति की सरपंच को उच्च जाति के लोग प्रधान मानने से ही इंकार कर देते हैं। अनेक घरेलू सामाजिक समस्याएं व संकीर्ण मनोवृत्ति पुरुष प्रधान समाज में देखने को मिलती है जिनके कारण महिलाएं राजनीतिक दृष्टि से सशक्त नहीं हो पाती। अतः महिलाओं को समाज में पुरुषों के साथ चलने व अपनी योग्यतानुसार कार्य करने के लिए मुखर अभिव्यक्ति के साथ सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बनना होगा। इसके लिए बिना मुक्ति आंदोलन के वह अपनी निहित क्षमता को विकसित करते हुए राजनीतिक समझ को समाज के आगे निःसंकोच निर्भय होकर लाना होगा।[6] जब महिला परिवार की इकाई की व्यवस्था कुशलतापूर्ण निभा सकती है तो अन्य बड़ी इकाईयों में भी वे अपनी योग्यता का परिचय दे सकती है। राजनीतिक दृष्टि से उनकी प्रतिभा का सामने आना प्रत्येक विषय व समस्या पर अपने विचार रखकर तर्कपूर्ण समस्या का समाधान लाकर सतत् भागीदारी से वे अपनी भूमिका राजनीतिक क्षेत्र में निभा सकती है तथा यही उनके सशक्त होने व समाज को सक्षम अपनी योग्यता प्रतिभा, कुशलता को

Scanned by CamScanner

बहिर्मुखी करने का परिचायक होगा। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण स्वयं में एक उद्देश्य नहीं है बल्कि इसे असमानता पर आधारित व्यवस्था में प्रभावशाली परिवर्तन के लक्ष्य की प्राप्ति का साधन माना जा सकता है। इसके साथ ही राजनैतिक दलों को भी दलीय संरचना में प्रत्येक स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना चाहिए। राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ने से लोकतांत्रिक संस्था का परिवेश ठीक होगा और राजनीति में संवेदना आएगी।[7]

## सशक्तिकरण में परिवार की भूमिका :

परिवार की धूरी नारी को जागरूक व सशक्त बनाकर ही समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। सशक्त नारी से देश को भी मजबूत बनाया जा सकता है। घर–परिवार कार्यों में महिलाओं को विशेष सुविधाएं प्रदान करना समाज व सरकार का दायित्व है। जिन क्षेत्रों में स्त्रियों ने संघर्ष किया, सहकारी प्रयत्नों से अपना सबलीकरण किया; समाज में परिवर्तन भी दिखाई देने लगे हैं। परिवार के अंदर सर्वप्रथम महिला को कर्त्तव्यों के साथ निर्णय लेने का अधिकार देने व हर क्षेत्र में अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने देने की पहल करनी होगी ताकि समाज में वह अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। इसके लिए परिवार का सुदृढ़ आधार होना आवश्यक है क्योंकि आत्मविश्वास का संचार स्त्री में परिवार से ही आता है। यही उस पर अनावश्यक पारिवारिक दायित्वों का बोझ है तो प्रतिभा होते हुए भी वह रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं दे सकती है।

महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक है कि महिलाएं स्वयं उन नीतियों व योजनाओं के निर्माण में सहभागी बनें जो उनके लिए बनायी जा रही है। यह तभी संभव है जबकि वे स्वयं शिक्षित हो तथा राजनीतिक व्यवस्था का अंग हो जो कि नीति निर्माण व क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हों। 73 व 74वां संविधान संशोधन एक सकारात्मक कदम है जिसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रशासनिक ईकाइयों में दिया गया है। उनकी राजनीतिक भागीदारी में भी वृद्धि हुई है। शैक्षणिक सुधार से सामाजिक बन्धनों को शिथिल किया जा सकता है तथा विभिन्न प्रयासों व कार्यक्रमों से महिलाएं तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकती हैं और सफल, सक्षम, नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं।

Scanned by CamScanner

## संदर्भ ग्रन्थ सूची :


1. शर्मा, क्षमा, स्त्री का समय, मेधा बुक्स, दिल्ली, 1998, पृ. 59
2. राजकुमार, नारी के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2005, पृ. 164
3. सुनील, गोयल, संगीता गोयल, भारतीय समाज व्यवस्था, आर.बी.एस.ए. पब्लिकेशन्स, 2003
4. राजकुमार, महिला एवं विकास, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2005, पृ. 143
5. राजकुमार, भारतीय महिला सामाजिक, सांस्कृतिक अध्ययन, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2003, पृ. 92
6. प्रतिभा, जैन, संगीता जैन, भारतीय स्त्री, रावत पब्लिकेशन, 1998, पृ. 204
7. आप्टे, प्रभा, भारतीय समाज में नारी, क्लॉसिक पब्लिशिंग हाउस, 1998, पृ. 52


❐❐❐

Scanned by CamScanner